न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—412/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/412)

1. देवा पुत्र मंदरूप
2. सूरा पुत्र मंदरूप

समस्त जाति गुर्जर निवासी रामनगर पगारा तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी डाडदेवी, रेल्वे स्टेशन के पास, कोटा।

अपीलांट

बनाम

1. मंगलाराम पुत्र नारायण
2. मेवा पुत्र नारायण

समस्त जाति गुर्जर, निवासी रामनगर पगारा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

3. उदा पुत्र मंदरूप
4. गोपी पुत्र मंदरूप
5. गोलू पुत्र मंदरूप
6. कालू पुत्र किशना
7. शिवजी पुत्र किशना
8. बीरम पुत्र लादू
9. लाली पत्नि मीठू
10. पप्पू पुत्र मीठू) नाबालिग जरिए संरक्षक
11. चेना पुत्र मीठू) माता लाली पत्नि मीठू
12. सुवा पुत्री मीठू)

समस्त जाति गुर्जर, निवासी रामनगर पगारा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2025 राजस्व वाद संख्या 76/2021.

उपस्थितः—

1. श्री गुमान कुमावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री वीरेन्द्रसिंह पंवार अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 13
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 12 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—09.01.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 76/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रतिवादीगण/अपीलांट्स एवं शेष रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.06.2025 को जारी करते हुए प्रकरण में आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 76/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 12 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अप्रार्थीगण का एक पक्षीय वाद डिक्री कर दिया जिसकी पूर्व में प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी अभी हाल ही में जब प्रार्थीगण जो कोटा से अपने गांव आये तथा खेत जोतने खेतों पर गये तो अप्रार्थीगण ने खेत जोतने से इन्कार कर वादग्रस्त आराजी का न्यायालय से बंटवारा डिक्री होने की बात कही जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 15.7.2025 को पीसांगन न्यायालय जाकर जानकारी प्राप्त की तो जानकारी हुई कि उनकी पुश्तैनी भूमि बाबत् वाद दिनांक 4.6.2025 को निर्णित हो चुका है जिस पर प्रार्थीगण ने निर्णय की नकल हेतु उसी दिन आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.7.2025 को नकल प्राप्त हुई तथा उक्त नकल प्राप्त कर अभिभाषक से सम्पर्क किया जिन्होंने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की कानूनी सलाह प्रदान की जिस पर प्रार्थीगण ने खर्चे आदि की व्यवस्था की एवं रक्षा बन्धन के बाद अविलम्ब अजमेर आये एवं अपना अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त अपील जानकारी से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो सके। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

आर0आर0टी0 2002(1)– CONDONATION OF DELAY– WHILE CONSIDERING THE QUESTION OF DELAY, COURT HAS TO FIRST CONSIDER THE MERITS CASE- IF CASE IS GOOD ON MERITS, DELAY OUGHT TO HAVE BEEN CONDONED.

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण जरिये साधारण नोटिस एवं रजिस्टर्ड ए.डी. से सूचित किया गया परन्तु वादीगण द्वारा जो कि प्रतिवादीगण के परिवार एवं समाज से जुडे हुए व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादीगण के कोटा में रहने की वादीगण को पूर्ण जानकारी होने के बावजूद प्रतिवादीगण को जो सम्मन भिजवाये गए उन पर प्रतिवादीगण/अपीलांट्स के गांव के निवास का पता अंकित कर नोटिस भिजवाये गए जिससे स्पष्ट होता है कि वादीगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन बाबत् प्रतिवादीगण को कोई सूचना नहीं देकर बाले–बाले वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन करवाने की मंशा रखते हैं जो कि न्याय के विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अन्दाज कर वाद को डिक्री फरमाने में जो कानूनी भूल की है वह प्रथम दृष्टया ही अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा वर्णित कथनो एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर बिना साक्ष्य ग्राहय किये बिना वाद को सिद्ध कराये वादीगण के कथनों को सही मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है वह अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। वाद पत्र में संलग्न फर्द अहकाम में अंकित तारीख पेशीयों एवं आदेश से स्पष्ट होता है कि ना ही वादीगण द्वारा वाद को विधिवत रूप से निर्णित करवाने का प्रयास किया गया तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिनुरूप सी.पी.सी. में वर्णित प्रावधानों का विधिवत रूप से प्रयोग कर वाद को निर्णित करने में कानूनी मस्तिष्क का उपयोग किया है। इस प्रकार उक्त वाद केवल और केवल वादीगण को अनुचित लाभ प्रदान करने की नियत से डिक्री फरमाया गया है जो कि प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्शित किए बिना वाद पत्र स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की है जो विधिनुसार संवहनीय/निष्पादन योग्य नहीं है अकृत्य व शुन्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 76/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी जो कि ग्राम रामनगर पटवार हल्का पगारा तहसील पीसांगन जिला अजमेर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार में संयुक्त रूप से निरंतर अवस्थित चली आ रही है। उक्त भूमि यादीगण की खातेदारी कृषि अराजी भूमि है जिसमें वादीगण का 1/8–1/8 हिस्सा आता है पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण आज दिवस तक उक्त आराजी भूमि पर अविभाज्य रूप से अपने–अपने हिस्से पर काबिजकाश्त चले आ रहे है। यह कि उक्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के बीच आये दिन अपने अपने हिस्से व सीमा को लेकर लडाई झगडा होता रहता है चूंकि उक्त संयुक्त

खातेदारी की भूमि का आज दिनांक तक बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विधिक बटवारा नहीं हुआ है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के वारिसान परिजन, मित्रगण, सहयोगी, एजेन्ट, मुख्त्यारआम, असाइनीज उक्त भूमि का बिना विधिक बटवारा किये पेरा संख्या 2 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर एवं वादीगण की कृषि भूमि में टैक्टर चलाकर बुवाई कर दी एवं बुवाई की आड में प्रतिवादीगण वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है इस कारण प्रतिवादीगण के वारिसान परिजन, मित्रगण, सहयोगी, एजेन्ट, मुख्त्यारआम, असाइनीज को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है इस कारण बंटवारा हेतु वाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का आज दिनांक तक बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स न्यायिक बटवारा नहीं हुआ है एवं वादीगण उक्त भूमि पर अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की भूमि पर फसल काश्त करता है जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर अपने हिस्से से ज्यादा की भूमि पर बुवाई की जा रही है जिससे वादीगण को अधिकार अपनी खातेदारी कृषि आराजी भूमि पर फसल काश्त करना असम्भव हो गया है एवं प्रतिवादीगण वादीगण से आये दिन लडाई–झगडा करने पर उतारू हो जाते है। इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उपरोक्त वर्णित आराजी का उनके हिस्से अनुसार बंटवारे की आज्ञाप्ति जारी फरमाई जाए जिससे आये दिन लडाई झगडे की संभावना ना रहे इसी कारण उक्त वाद वास्ते बंटवारा न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 04.06.2025 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात ग्राम रामनगर तहसील पीसांगन के खसरा नम्बर 10, 11, 13, 27, 28, 29, 7 में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विधिक बंटवारा किया जाकर वादीगण के हक हिस्से को नक्शा ट्रेस में अलग से दर्शाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाए जाने तथा प्रतिवादीगण को उक्त आराजीयात में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावाए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया।

अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किए गए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिवत तामील के तथा जवाब का मौका दिए बिना व पत्रावली पर साक्ष्य ग्रहण किए बिना प्रकरण में एकपक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 10, 11, 13, 27, 28, 29, 7 कुल किता 7 कुल रकबा 6.1500है0 आराजीयात के अपीलांट व रेस्पोडेंट्स राजस्व रिकार्ड में सहखातेदार/सहकाश्तकार दर्ज हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद दिनांक 02.08.2021 को प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण अभिभाषक ने प्रतिवादीगण की तलबी जरिए साधारण नोटिस प्रस्तुत की। जिसके पश्चात दिनांक 22.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक वादीगण द्वारा शेष प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड एडी कोटा के पते पर भेजी गई जो तामील मानी जाती है। तत्पश्चात पत्रावली आगामी पेशियों में नियत रही। प्रतिवादीगण द्वारा इतनी लंबी अवधि के पश्चात भी प्रकरण में जवाब

प्रस्तुत नहीं किए जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 04.06.2025 को निर्णय व डिक्री पारित किया गया।

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायहित में अनेक अवसर दिए जाने के उपरांत भी प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनका जवाब बंद किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया। प्रतिवादीगण के पास भरपूर अवसर होने के बावजूद भी उनके द्वारा ना तो जवाब ना ही किसी प्रकार के कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण की संपूर्ण जानकारी थी।

प्रकरण से संबंधित विवादित आराजीयात में अपीलांट व रेस्पोडेंट सहखातेदार/काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री ही पारित की गई है। जिसके अनुसार तहसीलदार को मुताबिक राजस्व रिकार्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने तथा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड अनुसार ही प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में किसी भी पक्षकार का राजस्व रिकार्ड में से हिस्सा कम या ज्यादा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक डिक्री ही जारी की गई है, चूंकि प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी होना शेष है। अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति दर्ज करवाने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कहे गए कथनों व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में क्या त्रुटि कारित हुई है यह अपीलांट बताने में असमर्थ रहे हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया गया है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री यथावत रखा जाना न्यायोचित है व अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 76/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर